

थाना जनकपुरी, सहारनपुर पुलिस द्वारा हनीट्रेप में फंसाकर रंगदारी मांगने वाले व

लूट करने वाले 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा वांछित/वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय, सहारनपुर के निर्देशन में दिनांक 20.09.2022 को थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा हनीट्रेप में फंसाकर रंगदारी मांगने व लूट करने वाले अभियुक्तगण 1-अमरीक पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी कोठी टाईप D-48 गोपाल नगर निकट शिव मन्दिर थाना कोतवाली नगर सहारनपुर हाल पता किरायेदार रविन्द्र नेगी होटल वाले का मकान ग्राम सहिया थाना कालसी जिला देहरादून, 2-दीपा मिगलानी पत्नी अमरीक निवासी कोठी टाईप डी-48 गोपाल नगर निकट शिव मन्दिर थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 22.01.22 को मुकदमा वादी को अभियुक्त द्वारा वादी द्वारा उधार दिये गये 50,000/- रूपयों को देने के बहाने बुलाकर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वादी को नग्न कर अभियुक्त दीपा के साथ वीडियो व फोटो खींच लेना तथा धमकाकर वादी से सोने की अंगुठी, चैन व घड़ी व जेब से 15,000/- रूपये छीन लेना तथा वीडियो व फोटो वायरल करने की धमकी देने के एवज में वादी से समय-समय पर रूपयों की मांग करते हुए 1,50,000/- रूपये ले लेने के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर पंजीकृत मु0अ0स0- 137/22 धारा 406/364क/386/392/120बी/411 भादवि में वांछित चल रहे थे। अभियुक्त अमरीक थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर का प्रचलित हिस्ट्रीशीट भी है, जिसकी हिस्ट्रीशीट संख्या 28ए है तथा सजायाफ्ता अभियुक्त है। गिरफ्तार अभियुक्तगणों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1- अमरीक पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी कोठी टाईप D-48 गोपाल नगर निकट शिव मन्दिर थाना कोतवाली नगर सहारनपुर हाल पता किरायेदार रविन्द्र नेगी होटल वाले का मकान ग्राम सहिया थाना कालसी जिला देहरादून
- 2- दीपा मिगलानी पत्नी अमरीक निवासी कोठी टाईप डी-48 गोपाल नगर निकट शिव मन्दिर थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर

अभियुक्त अमरीक का इतिहास आपराधिक:-

- 1-मु0अ0सं0 137/2022 धारा 406, 364, 386, 392, 120बी भादवि थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
- 2- मु0अ0सं0 368/1998 धारा 18 / 20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
- 3- मु0अ0सं0 388 / 1994 धारा 324 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
- 4- मु0अ0स0 236 / 1998 धारा 406 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
- 5-मु0अ0स0 15/1999 धारा 2/3 गैंगेस्टर अधिनियम थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
- 6- मु0अ0सं0 375/2000 धारा 354, 504506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
- 7- मु0अ0स0 486/2007 धारा 3 यू०पी० गुण्डा अधिनियम थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
- 8-मु0अ0स0 412/2007 धारा 323,452,504,506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
- 9- मु0अ0स0 21 / 2008 धारा 18/20 एनडीपीएस थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
- 10 मु0अ0स0 440/2009 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
- 11- मु0अ0स0 निल/2009 धारा 411 भादवि व 41 / 102 द०प्र०स० थाना कोतवाली नगर सहारनपुर।

- 12- मु0अ0स0 40/2009 धारा 110जी द०प्र०स० थाना थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
- 13- मुअ00स0 161/2017 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
- 14- मु0अ0स0 173/2018 धारा 379,411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
- 15- मु0अ0स0 174 /2018 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
- 16- मु0अ0स0 46/2019 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना सहारनपुर ।
- 17- मु0अ0स0 225/2015 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम थाना मिर्जापुर सहारनपुर।
- 18- मु0अ0स0 61/ 2019 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर ।
- 19- मु0अ0स0 150 / 2020 धारा 307,323,504,506 भादवि थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
- 20- मु0अ0सं0 202 /2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
- 21- मु0अ0सं0 296/2021 धारा 323, 342, 386,452, 506,504 भादवि व 67 आईटी0 एक्ट थाना जनकपुरी

बरामदगी का विवरण:-

- 1- 5000/- रूपये बरामद (सम्बन्धित मु0अ0स0- 137/22 धारा 406/364क/386/392/120बी/411 भादवि थाना जनकपुरी)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

- 1- प्रभारी निरीक्षक श्री अनिनाश गौतम, थाना जनकपुरी सहारनपुर
- 2- व0उ0नि0 श्री सुरेशपाल सिरोही, थाना जनकपुरी सहारनपुर
- 3- है0का0 221 संजीव कुमार थाना जनकपुरी सहारनपुर
- 4- का0 2218 गगन थाना जनकपुरी सहारनपुर
- 5- का0 702 मोनिका राठी थाना जनकपुरी सहारनपुर

प्रेस नोट दिनांक – 21/09/2022

जनपद सहारनपुर डोंग स्कवाड के ओकरी नाम के डोंग की मृत्यु होने पर एसएसपी, सहारनपुर व अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा पुलिस लाईन सहारनपुर में ओकरी (डोंग) को भावपूर्ण पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई:-

अवगत कराना है कि जनपद सहारनपुर डोंग स्कवाड के ओकरी नाम के डोंग की ब्रेस्ट कैंसर के कारण मृत्यु हो गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर व अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा पुलिस लाईन सहारनपुर में ओकरी (डोंग) को भावपूर्ण पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई।

ओकरी (डाबरमैन ब्रिड) की जन्म तिथि 22/03/2014 है। ओकरी (डोंग) के द्वारा दिनांक 17/09/2014 को ग्वालियर(मध्य प्रदेश) में नौ महीने का कोर्स किया गया तथा दिनांक 24/06/2015 में जनपद सहारनपुर के डोंग स्कवाड में आयी। इसके डोंग हैंडलर का नाम आरक्षी धर्मेन्द्र सिंह है। ओकरी (डोंग) की 08 साल 06 महीने में ब्रेस्ट कैंसर के कारण मृत्यु हो गयी। ओकरी (डोंग) की सहायता से सहारनपुर पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों को रोकने में मुख्य सफलता प्राप्त की जिनमें से कुछ **सराहनीय कार्य** निम्नवत हैं:-

- 1- थाना गागलहेडी क्षेत्र में माँ बेटे की गला रेतकर हत्या करने वाले अभियुक्त को खोजकर निकाला
- 2- थाना सरसावा क्षेत्र में 03 लाख रुपये का डोडा-पोस्त बरामद कराया
- 3- थाना कुतुबशेर क्षेत्र में बच्ची के साथ दरिंदगी व हत्या करने वाले 03 अभियुक्तों को झोपडी से खोजकर निकाला
- 4- थाना कुतुबशेर क्षेत्र में एक युवक की हत्या करने वाले अभियुक्त को खोजकर निकाला
- 5- थाना गागलहेडी क्षेत्र में एक आरक्षी की हत्या करने वाले पति-पत्नी को खोजकर निकाला
- 6- थाना जनकपुरी क्षेत्र में एक मासूम बच्ची हर्षिता की बलि देने वाले अभियुक्त को खोजकर निकाला
- 7- थाना गागलहेडी क्षेत्र में एक बालक के शव को झाड़ियों से ढूँढकर निकाला

थाना बिहारीगढ, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से 02

नाजायज चाकू, 01 मोटरसाइकिल स्पलेंडर प्लस व एक विद्युत मोटर बरामद:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशो के अनुपालन में एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे संदिग्धो/वांछितो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थानाध्यक्ष श्री बीनू सिंह थाना बिहारीगढ के कुशल नेतृत्व मे थाना बिहारीगढ पुलिस द्वारा दिनांक 20.09.2022 को **अभि०गण (1) रमजानी पुत्र मौ० अशगर (2) शाहिल पुत्र हबीबुर्हमान उर्फ खान निवासीगण ग्राम कुरडीखेडा थाना बिहारीगढ सहारनपुर** को मय 02 नाजायज चाकू व 01 मोटरसाइकिल हीरो होण्डा स्पलेंडर प्लस नं० UA07T-7054 व 01 विद्युत मोटर 20 HP के जंगल ग्राम कुरडीखेडा से गिरफ्तार किया गया। इनके तीन अन्य साथी (1) नदीम उर्फ नेता पुत्र जमीलुदीन (2) अन्नान पुत्र ईनाम (3) फरीद पुत्र सत्तार निवासीगण ग्राम कुरडीखेडा थाना बिहारीगढ सहारनपुर रात्रि का फायदा उठाकर मौके से भाग गये। जिसके सम्बन्ध में थाना बिहारीगढ पर क्रमशः मु०अ०स० 217/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम रमजानी, मु०अ०स० 218/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम शाहिल व मु०अ०स० 219/2022 धारा 398/401/411/414 भादवि बनाम रमजानी आदि 5 नफर पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभि०गण ने पूछताछ पर बताया कि हमने अपने अन्य तीन साथियो (1) नदीम उर्फ नेता पुत्र जमीलुदीन (2) अन्नान पुत्र ईनाम (3) फरीद पुत्र सत्तार निवासीगण ग्राम कुरडीखेडा थाना बिहारीगढ सहारनपुर के साथ मिलकर दिनांक 19.09.2022 की रात्रि में गोल्डन स्टोन क्रेशर कुडीखेडा पेट्रोल पम्प के पीछे से 20 H.P की विद्युत मोटर चोरी की थी। उपरोक्त चोरी के सन्दर्भ में थाना बिहारीगढ पर मु०अ०स० 215/2022 धारा 379 भादवि पंजीकृत की थी। गिरफ्तारशुदा अभि०गण रमजानी व शाहिल उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभि० रमजानी का आपराधिक इतिहास:-

- 1-मु०अ०स० 35/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बिहारीगढ सहारनपुर
- 2-मु०अ०स० 131/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बिहारीगढ सहारनपुर
- 3-मु०अ०स० 215/2022 धारा 379 भादवि थाना बिहारीगढ सहारनपुर
- 4-मु०अ०स० 217/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बिहारीगढ सहारनपुर
- 5-मु०अ०स० 219/2022 धारा 398/401/411/414 भादवि थाना बिहारीगढ सहारनपुर

अभि० शाहिल का आपराधिक इतिहास:-

- 1-मु०अ०स० 215/2022 धारा 379 भादवि थाना बिहारीगढ, सहारनपुर।
- 2-मु०अ०स० 218/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बिहारीगढ, सहारनपुर।
- 3-मु०अ०स० 219/2022 धारा 398/401/411/414 भादवि थाना बिहारीगढ, सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 1- 02 नाजायज चाकू
- 2- 01 मोटरसाइकिल हीरो होण्डा स्पलेंडर प्लस
- 3- 01 विद्युत मोटर 20 HP

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

- 1-थानाध्यक्ष श्री बीनू सिंह थाना बिहारीगढ, सहारनपुर।
- 2-उ०नि० रामचरन सिंह थाना बिहारीगढ, सहारनपुर।
- 3-है०का० 581 लक्ष्मी प्रसाद थाना बिहारीगढ, सहारनपुर।
- 4-का० 1666 पंकज कुमार थाना बिहारीगढ, सहारनपुर।
- 5-का 1069 अंकित कुमार थाना बिहारीगढ, सहारनपुर।

प्रेस नोट दिनांक 21.09.2022

थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 10 बोतल देशी

शराब बरामद:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सहारनपुर द्वारा अपराधो की रोकथाम व वाँछित/वारण्टी अभियुक्त गणो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के कुशल पर्यवेक्षण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी बेहट महोदय के कुशल पर्यवेक्षण व निरीक्षक श्री रविन्द्र कुमार थाना बेहट के कुशल नेतृत्व मे थाना बेहट पुलिस द्वारा आज दिनाँक 21.09.22 को सीएचसी बेहट नदी के पास से अभियुक्त तालिब पुत्र राशिद नि0 मौ0 कस्सावान कस्बा व थाना बेहट जिला सहारनपुर को समय 08.25 बजे गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के कब्जे से एक प्लास्टिक के कट्टे मे 10 बोतल देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का बरामद हुई जिसके सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मु0अ0सं0 - 467/22 धारा 60/63 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।



अभियुक्त का नाम व पता:-

1- तालिब पुत्र राशिद नि0 मौ0 कस्सावान कस्बा व थाना बेहट जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

1- एक प्लास्टिक के कट्टे मे 10 बोतल देशी शराब माल्टा मार्का हरियाणा राज्य की

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- निरीक्षक श्री रविन्द्र कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
- 2- उ0नि0 श्री मान सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
- 3- है0का0 271 मौ0 कामिल थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
- 4- का0 2343 सन्दीप कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर

प्रेस नोट दिनांक 21.09.2022

थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 18 बोतल देशी शराब व एक पल्सर मोटरसाइकिल बरामद:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अपराधो की रोकथाम व वाँछित/वारण्टी अभियुक्त गणो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी बेहट के कुशल पर्यवेक्षण व निरीक्षक श्री रविन्द्र कुमार थाना बेहट के कुशल नेतृत्व मे थाना बेहट पुलिस द्वारा दिनांक 21.09.2022 को बूढी यमुना नदी पुल बाहद ग्राम नानौली से अभियुक्त **इन्तजार पुत्र तकी नि0 गदर हेडी थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को समय 09.50 बजे गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के कब्जे से एक बैग मे 18 बोतल देशी शराब माल्टा मार्का (हरियाणा राज्य) की बरामद हुई तथा एक मोटर साइकिल पल्सर बिना कागजात HR-02-U-6945 बरामद हुई जिसके सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मु0अ0सं0 - 468/22 धारा 60/63 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया व मोटर साइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट मे सीज किया गया अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।



अभियुक्त का नाम व पता:-

1. इन्तजार पुत्र तकी नि0 गदर हेडी थाना सरसावा जिला सहारनपुर
बरामदगी

- 1- एक बैग मे 18 बोतल देशी शराब माल्टा मार्का हरियाणा राज्य की
- 2- एक मोटर साइकिल पल्सर बिना कागजात नं0 HR-02-U-6945

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 40/22 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना सरसावा
2. मु0अ0सं0 41/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना सरसावा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- निरीक्षक श्री रविन्द्र कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
- 2- उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
- 3- का0 461 सोनू तोमर थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर

प्रेस नोट दिनांक-21/09/2022

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा किया गया चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए

किया 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की साइकिल व 01 नाजायज चाकू बरामद:-

अवगत कराना है कि दिनांक 20.09.2022 को वादी श्री मुर्सलीन पुत्र साजिद निवासी मौ0 हजार कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर की साइकिल चोरी को थाना सरसावा क्षेत्र के सीएचसी के पास दिलशाद नाई के खोखे के सामने से किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0स0 369/2022 धारा 379 भादवि0 पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त का सफल अनावरण व माल व मुल्जिम की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के आदेश के अनुपालन में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस क्षेत्राधिकारी नकुड महोदय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना सरसावा के द्वारा टीम गठीत की गयी तो उ0नि0 श्री सतेन्द्र सिंह द्वारा मय हमराही फोर्स के दिनांक 21.09.2022 को सरसावा नकुड रोड, हाईवे अन्डर पास के नीचे से अभि0 सोनू उर्फ अक्षय पुत्र राजू उर्फ राजकुमार निवासी मौ0 मुन्शीपुरा कस्बा व थाना नकुड जिला सहारनपुर मय एक अदद चोरी की साइकिल प्रेम पर ATLAS GOLDLINE DELUXE अंकित है व एक अदद नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0स0 370/22 धारा 4/25 आम्स एक्ट व अ0स0 369/22 धारा 379 भादवि में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। अभियुक्त को मा0न्या0 के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्त

1- सोनू उर्फ अक्षय पुत्र राजू उर्फ राजकुमार निवासी मौ0 मुन्शीपुरा कस्बा व थाना नकुड जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

1- साइकिल ATLAS GOLDLINE DELUXE (संबंधित मु0अ0स0 369/22 धारा 379/411 भादवि)

2- 01 नाजायज चाकू

अभियुक्त सोनू का अपराधिक इतिहास:-

मु0अ0स0 369/22 धारा 379,411 भादवि, थाना सरसावा, स0पुर

मु0अ0स0 370/22 धारा 4/25 आम्स एक्ट थाना सरसावा, स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री सतेन्द्र सिंह, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

2. कां0 1531 विक्रान्त दांगी, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

3. कां0 339 दीपक भारद्वाज, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

थाना नकुड, सहारनपुर 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 मोटरसाईकिल बरामद:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशों के अनुपालन में तथा क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में चोरी की घटनाओं की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ थाना नकुड के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड पुलिस द्वारा 03 अभिगण को गिरफ्तार किया गया। तथा चोरी की गई मोटर साईकिल बरामद की गई। अभिगण को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। विवरण निम्नवत है:-

दिनांक 20/09/22 को वादी श्री अमित कुमार s/o रणवीर सिंह ग्राम दौलतपुर उर्फ चापर चिडी पो0 अम्बेहटा पीर जनपद सहारनपुर की तहरीरी सूचना बावत अज्ञात चोर द्वारा वादी की दिनांक 29.08.22 को ग्राम चडाव में मेला में खिलौने की दुकान के पास से खुद की मोटर साईकिल संख्या UP11BZ 3493 चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना नकुड पर मु0अ0स0 361/22 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। दिनांक 21.09.22 को थाना नकुड पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभिगण 1. रविन्द्र पुत्र ऋषिपाल नि0 ग्राम बिलासपुर थाना गंगौह जिला सहारनपुर 2. अहसान पुत्र मेंहदी हसन नि0 ग्राम टिडौली थाना नकुड जिला सहारनपुर को मय मुकदमा उपरोक्त में चोरी की गई मोटर साईकिल संख्या UP11BZ 3493 के साथ समय करीब 20.30 बजे निजामुद्दीन कॉलोनी के पास से गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया गया। दिनांक 20/09/22 को वादी श्री सचिन कुमार पुत्र हुकम निवासी ग्राम फेरू माजरा थाना नकुड जिला सहारनपुर की तहरीरी सूचना पर मु0अ0स0 360/2022 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 दहेज प्रतिशोध अधि0 बनाम प्रवीण कुमार (पति) पुत्र जगपाल आदि 3 नफर थाना नकुड जनपद सहारनपुर पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 21.09.22 को थाना नकुड पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त प्रवीण कुमार (मृतका का पति) पुत्र जगपाल नि0 गण ग्राम साल्हापुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर को समय करीब 08.30 बजे ग्राम लतीफपुर से गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया गया।

अभि0 का नाम व पता:-

1. रविन्द्र पुत्र ऋषिपाल नि0 ग्राम बिलासपुर थाना गंगौह जिला सहारनपुर।
2. अहसान पुत्र मेंहदी हसन नि0 ग्राम टिडौली थाना नकुड जिला सहारनपुर।
3. प्रवीण कुमार (मृतका का पति) पुत्र जगपाल नि0 गण ग्राम साल्हापुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

1. एक की मोटर साईकिल संख्या UP11BZ 3493

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्र0नि0 श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ थाना नकुड, सहारनपुर।
2. उ0नि0 सचिन त्यागी थाना नकुड, सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री संजय शर्मा थाना नकुड, सहारनपुर।
4. है0का0 343 महेशचन्द शर्मा थाना नकुड, सहारनपुर।
5. है0का0 590 मनोज कुमार सिंह थाना नकुड, सहारनपुर।
6. का0 71 ब्रजवीर राणा थाना नकुड, सहारनपुर।
7. का0 970 संदीप कुमार थाना नकुड, सहारनपुर।
8. का0 2434 मनीष कुमार थाना नकुड, सहारनपुर।

प्रेस नोट दिनांक-21/09/22

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशो के अनुपालन में तथा क्षेत्राधिकारी गंगोह, सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में संदिग्ध व्यक्ति/वांछितो/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक श्री जसवीर सिंह थाना गंगोह जिला सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस टीम के द्वारा थाना गंगोह पर पंजीकृत मु0अ0स0 382/22 धारा 147/148/149/387/504/506 भादवि में वांछित **अभियुक्त मोमीन पुत्र शौकत निवासी ग्राम बसी थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को आज दिनांक 21/09/22 को समय 05.00 AM बजे अभियुक्त के घर ग्राम बसी व थाना गंगोह जिला सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त को मा0 न्यायालय पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मोमीन पुत्र शौकत निवासी ग्राम बसी थाना गंगोह जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री रामवीर सिंह, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
- 2.का0 2307 राजेश, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
- 3.का0 1556 रामसिंह, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
- 4.का0 1375 विराट, थाना गंगोह जिला सहारनपुर

प्रेस नोट दिनांक 21.09.22

थाना गंगोह पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशो के अनुपालन मे तथा क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे संदिग्ध व्यक्ति/वांछितो/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक श्री जसवीर सिंह थाना गंगोह जिला सहारनपुर के कुशल नेतृत्व मे थाना गंगोह पुलिस टीम के द्वारा थाना गंगोह पर पंजीकृत मु0अ0सं0 349/21 धारा 147/148/149/307/323/332/353/506/224/225/341/427 भादवि में वांछित **अभियुक्त जुल्लो पत्नी बूबा उर्फ फूलसदीन निवासी ग्राम दौलतपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को आज दिनांक 21.09.22 को समय 09.30 बजे अभियुक्त के घर ग्राम दौलतपुर कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त को मा0 न्यायालय पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

जुल्लो पत्नी बूबा उर्फ फूलसदीन निवासी ग्राम दौलतपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 बिजेन्द्र सिंह रावल, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. का0 156 राहुल कुमार, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3. म0का0 408 नीलम शर्मा , थाना गंगोह जिला सहारनपुर